



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन
संख्या - 1403 / 2025

देवराज @ देवराज निर्मल

बनाम

..... आवेदक

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ
एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : जयकरन, प्रद्युम्न शुक्ला
प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायबरेली के दिनांक 10.11.2025 के पत्र के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस (सूचना) देना ही पर्याप्त है। हालाँकि, निजी विपक्षी पक्ष संख्या 2 की तरफ से कोई भी अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। इस न्यायालय ने दिनांक 16.03.2026 को कहा था कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अगली सूची के दिनांकों पर, बीमारी सहित किसी भी आधार पर वाद को टाला नहीं जाएगा तथा निजी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता की गैरमौजूदगी में भी, उपयुक्त आदेश; जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश भी शामिल है, पहली पुकार में ही पारित कर दिए जाएंगे।" इन परिस्थितियों में, वाद को अंतिम रूप से निस्तारित करने के लिए यह न्यायालय आगे बढ़ रहा है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) में रखी सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक ने वाद अपराध संख्या 0167/2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 108 के अंतर्गत, थाना - बिहार, ज़िला - उन्नाव के संबंध में दायर की है।
4. दिनांक 25.09.2025 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने आवेदक के हितों की रक्षा की थी। दिनांक 25.09.2025 का आदेश, जिसका सन्दर्भ दिया गया है, इस तरह है :-

"यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 167/2025 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 108 के अंतर्गत, थाना - बिहार, ज़िला - उन्नाव के तहत अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

प्राथमिकी में आरोप है कि मृतका की शादी, आवेदक देवराज से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद, अभियुक्तजन दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता एवं उत्पीड़न करने लगे। शिकायतकर्ता की छोटी बेटी को एक मोटरसाइकिल (बुलेट) दी गई थी, ससुराल वालों ने आवेदक के लिए भी वैसी ही मोटरसाइकिल की मांग की। उनकी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लगातार मांग पर, शिकायतकर्ता के परिवार ने 50,000/- रुपए नगद का इंतजाम किया और बाद में, शिकायतकर्ता के बेटे, जो देवराज के साथ बहरीन में काम कर रहा था, ने 1,50,000/- रुपए का इंतजाम करके भेज दिया। इन मांगों को पूरा करने के बाद भी, अभियुक्तजन संतुष्ट नहीं हुए तथा इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी की भी मांग की, जो शिकायतकर्ता का परिवार देने में असमर्थ था।

आरोप है कि दिनांक 12.05.2025 को सुबह करीब 9:00 बजे, शिकायतकर्ता को पड़ोसियों से जानकारी मिली कि उसकी बेटी पूजा की हालत गंभीर है और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सुमेरपुर ले जाया गया है। वहां पहुंचने पर, शिकायतकर्ता को पता चला कि शिकायतकर्ता की बेटी ने सल्फास खा लिया है। मृतका को जिला चिकित्सालय, उन्नाव ले जाने के लिए संदर्भित किया गया, जहां उपचार के दौरान, दोपहर करीब 2:00 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार की गई कहानी के अनुसार मौजूदा आवेदक, सूचना देने वाले के बेटे के साथ बहरीन में था। यह कहा गया है कि संबंधित तारीख को भी आवेदक बहरीन में था तथा हवाई जहाज के टिकट की एक प्रति अभिलेख (रिकॉर्ड) में है।

यह भी बताया गया है कि शुरू में दिनांक 12.05.2025 को संबंधित थाने में फौती सूचना दी गई थी, जिसमें आवेदक के विरुद्ध दहेज के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया गया था (जमानत आवेदन का अनुलग्नक-3) ।

यह भी कहा गया है कि बहरीन में रहने के दौरान, आवेदक ने समय-समय पर सूचना देने वाले, मृतका की माँ और मृतका के भाई को पैसे भेजे हैं तथा आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के बैंक विवरण की एक प्रति, जमानत आवेदन के साथ अनुलग्नक-8 के तौर पर दाखिल की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि अन्वेषण अभी भी चल रही है और आवेदक, अन्वेषण में सहयोग करने का वादा करता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध किया है और कहा है कि यह दहेज मृत्यु का मामला है; आवेदक, मृतका का पति है तथा अन्वेषण में सहयोग नहीं कर रहा है।

विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी की जाये। एक हफ्ते के भीतर कदम उठाए जाएं।

मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए; यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक बहरीन में तैनात था, जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है; जमानत आवेदन के साथ दाखिल की गयी सामग्री को देखते हुए तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह अन्वेषण में सहयोग करने का वादा करता है, यह न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में निर्धारित किये गए विधि को देखते हुए, आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित समझता है।

तदनुसार, यह प्रावधान किया जाता है कि सूची की अगली तारीख तक, गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / अन्वेषण अधिकारी / संबंधित थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए, एक स्वीय बंधपत्र तथा समान राशि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के के दो प्रतिभुओं को देने पर, इन शर्तों के अधीन, अंतरिम अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा :

आवेदक, आज से सात दिनों के भीतर अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

आवेदक, अन्वेषण में सहयोग करेगा और साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

आवेदक को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / अन्वेषण अधिकारी / संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा अन्वेषण/पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर मौजूद रहना होगा।

आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अगर कोई चूक होती है, तो अन्वेषण करने वाली संस्था, इस अंतरिम सुरक्षा को हटाने के लिए आवेदन कर सकती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अगली सूची की तारीख से पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में एक बेहतर शपथ-पत्र दाखिल करेंगे, ऐसा न करने पर यह अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द हो जाएगी।

दिनांक 14.11.2025 को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया जाए।"

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख (रिकॉर्ड) से यह सिद्ध नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में कोई भी ऐसा तथ्य है, जो विरोध में हो। इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए पाया कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की कार्यवाही या अन्यथा सहयोग नहीं किया है या कोई और ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले के गुण-दोष पर बुरा असर डाल सकता है।

6. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मौजूदा अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृति** दी जाती है तथा आवेदक- **देवराज @ देवराज निर्मल** की अग्रिम जमानत को विचारण (ट्रायल) के निस्तारण तक, इन शर्तों के साथ बढ़ाया जाता है :-

(i) कि आवेदक ज़रूरत पड़ने पर पुलिस अधिकारी से पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से; मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से स्वयं को रोक ले या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(iii) कि आवेदक, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) कि आवेदक हर तय दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

(v) कि आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराया नहीं करेगा।

7. अगर कोई चूक होती है, तो अन्वेषण करने वाली संस्था, इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दे सकती है।

19 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।